न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/388

दुर्गा भंवर सिंह आयु 54 वर्ष आत्मज स्व0 श्री छोटू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. छीतर सिंह आत्मज श्री स्व0 छोटू सिंह बालिग जाति राजपूत निवासी मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. सम्मत कंवर बेवा श्री राजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. पूजा
4. दीपा बालिग पिसरान/पुत्रियॉ राजसिंह जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
5. स्व0 छोटू सिंह आत्मज भारत सिंह राजपूत निवासी ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :– पूर्व में ही अपीलान्ट कम 1, 2, 3 व 4 हैं
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री शम्भूदयाल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 01.02.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री 23.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण कम 1 व 2 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य हैं । वादी कम 2, प्रतिवादी कम 1 के स्वर्गीय पुत्र राजसिंह की विधवा पत्नी है तथा वादी कम 3 व 4 उसकी पुत्रियॉ है । पक्षकारों में अभी तक कृषि भूमि एवं अन्य सम्पत्ति का

विभाजन नहीं हुआ है । स्वर्गीय श्री भारतसिंह आत्मज चतरसिंह से विरासत में प्रतिवादी छोटूसिंह को कृषि भूमि खसरा नम्बर 135 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 03 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 535/278 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा कुल 06 बीघा 11 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 266 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम मराडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है प्राप्त हुई । उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है इस कारण वादीगण एंव प्रतिवादी कम 2 का प्रतिवादी छोटूसिंह के साथ जन्म से ही वैधानिक खातेदारी अधिकार निहित है । उक्त भूमि में वादी छीतर सिंह का 1/4 हिस्सा, वादी कम 2, 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी छोटूसिंह का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी दुर्गाभंवर सिंह का 1/4 हिस्सा है । वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में छीतर सिंह का 1/4 हिस्सा, वादी कम 2, 3 व 4 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी छोटूसिंह का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी दुर्गाभंवर सिंह का 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी अथवा उसके किसी भी भाग का प्रतिवादी कम 2 अथवा अन्य किसी व्यक्ति, संस्था के पक्ष में रहन, बेचान एवं भारग्रस्त नहीं करे और न ही उक्त भूमि से वादीगण को बेदखल करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.07.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । प्राथमिक डिक्री के आधार पर दिनांक 23.05.2016 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री पारित कर दी ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 2 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाबदावा में चल रही थी परन्तु कैम्प कोर्ट में बिना प्रोसिजर बिना जवाबदावा लिये ही प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित कर दी । अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित किया हुआ है । उक्त दान पत्र जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नही हो जाता तब तक उक्त दस्तावेज अपीलान्ट के पक्ष में स्टेण्ड है । अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.05.2016 निरस्त फरमाये जावें ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तत्समय कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट लोक अदालत में उपस्थित नहीं था और लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में ही निर्णय पारित कर दिया । अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी मई, 2018 में हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि उक्त अपील प्रस्तुत करते समय प्राथमिक डिक्री व अंतिम डिक्री की अपील कोमन प्रस्तुत की गई थी जो सहवन से प्रस्तुत हुई है । उक्त अपील को अपील विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 ही माना जावे ।

9. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट ने उक्त अपील प्रस्तुत करते समय सहवन से अंतिम डिक्री भी अंकित हो जाना कथन किया जबकि उक्त अपील प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध ही पेश किया जाना बताया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर उक्त अपील को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध माना जाता है जिसका अपीलान्ट द्वारा संशोधित टाईटल भी पेश किया है स्वीकार किया जाता है ।

10. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित किया है । पत्रावली जवाबदावा में लम्बित थी । जवाबदावा पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया और निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई । लोक अदालत में अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट के पक्ष में पंजीकृत दान पत्र निष्पादित किया हुआ है । अपीलान्ट मृतक छोटूसिंह का पुत्र है जिसे वादीगण ने भी स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त फरमाई जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी कम 1 व 2 व प्रतिवादी कम 1 व 2 उपस्थित हुए हैं । लोक अदालत में पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और इसी दिनांक को निर्णय व डिक्री पारित की गई है । लोक अद्रालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में सीपीसी की पालना करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय

एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 25.03.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 01.02.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/2/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा